न्यायालय जिला कलक्टर, कोटपूतली–बहरोड (राज0)

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती प्रियंका गोस्वामी
प्रकरण संख्या : 101/2025 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)
तारीख रजू : 25.09.2025 निर्णय दिनांक : 17.10.2025

उनवान

1. उमराव पुत्र श्री उम्दा,
2. रामकुंवार पुत्र श्री धुडा पौत्र हरदेव,
   समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम सुन्दरपुरा तहसील कोटपूतली जिला कोटपूतली–बहरोड राजस्थान।

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. सहायक कलेक्टर/उपखंड अधिकारी, कोटपूतली जिला कोटपूतली–बहरोड।
2. पूरण पुत्र श्री सुगडा,
3. गिन्दोडी पत्नी श्री बूला,
4. राजू पुत्र श्री गाडा,
5. अमीचन्द पुत्र श्री महादेव,
6. जगदीश पुत्र श्री लच्छाराम,
7. जयराम पुत्र श्री सुरजा,
8. प्रभू पुत्र श्री लादू,
9. किस्तूरी देवी पुत्री कानाराम पौत्री सरदारा,
10. सावित्री देवी पुत्री कानाराम पौत्री सरदारा,
11. सन्ता पुत्री कानाराम पौत्री सरदारा,
12. धोली पुत्री कानाराम पौत्री सरदारा,
13. चिडिया पुत्री कानाराम पौत्री सरदारा,
14. प्रकाश पुत्र कानाराम पौत्री सरदारा,
15. रमेश पुत्र कानाराम पौत्री सरदारा,
16. हंसराज पुत्र कानाराम पौत्री सरदारा,
    समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम सुन्दरपुरा तहसील कोटपूतली जिला कोटपूतली–बहरोड राजस्थान।
17. दिनेश पुत्र शीशराम,
18. रमेश पुत्र शीशराम,
19. सपना पत्नी शीशराम,
    समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम पदमा की ढाणी तहसील कोटपूतली जिला कोटपूतली–बहरोड राजस्थान।
20. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र श्री महावीर प्रसाद शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम गोपालपुरा तहसील कोटपूतली जिला कोटपूतली–बहरोड राजस्थान।
21. प्रेम पुत्र श्रीराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम धुवाला जिला अलवर।

.....अप्रार्थीगण

22. बहादुर पुत्र धुडा पौत्र हरदेव,
23. मांगेलाल पुत्र धुडा पौत्र हरदेव,
24. इन्द्राज पुत्र धुडा पौत्र हरदेव,
25. मूर्ति पुत्री धुडा पौत्री हरदेव,
26. चिडिया देवी पुत्री धुडा पौत्री हरदेव,
27. मिश्री देवी पुत्री धुडा पौत्री हरदेव,
28. पारली पत्नी धुडा पुत्रवधु हरदेव,
    समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम सुन्दरपुरा तहसील कोटपूतली जिला कोटपूतली–बहरोड राजस्थान।

.....तरतीबी अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित अधिवक्तागण :–

1. श्री अनूप शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री सुनिल शर्मा अप्रार्थी न0 14 की ओर से।

दिनांक–17.10.2025

निर्णय

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली के समक्ष प्रार्थना पत्र आदेश 09 दिनांक 13 बउनवानी पूरण बनाम उमराव प्रकरण संख्या 18/2024 विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कोटपूतली–बहरोड़

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़

अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 14 की ओर से वकील श्री सुनील शर्मा ने वकालतनाम पेश किया एवं जवाब पेश न कर सीधी बहस करना जाहिर किया। अन्य अप्रार्थीगण अनुपस्थित रहे।

3. वकील उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।

4. प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 01 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली के समक्ष प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 13 सपठित धारा 151 सीपीसी बअनुवानी पूरण बनाम उमराव प्रकरण संख्या 18/2024 प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया कि न्यायालय श्रीमान के समक्ष एक वाद पत्र संख्या 38/2000 उमराव पुत्र उमदा और धुडा पुत्र हरदेव द्वारा प्रस्तुत किया गया था जिसमें उमराव पुत्र उम्दा अभी जीवित है और धुडा पुत्र हरदेव का 2016 में स्वर्गवास हो गया है इस कारण उसके कायम मुकामान वारिसान को पक्षकार बनाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 08.01.2001 को प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित कर दिये और साक्ष्य वादी लेकर दिनांक 26.06.2001 को उक्त वाद उमराव बनाम गिन्दोडी एकपक्षीय डिकी कर दिया जिसकी प्रतिवादीगण को कोई जानकारी नही थी। उपरोक्त प्रकरण में प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 01 पूरण पुत्र सुगडा ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपरोक्त प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 13 सीपीसी का प्रस्तुत किया है, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने उभय पक्षो की बहस सुनने के उपरान्त वास्ते आदेश नियत की थी, तत्पश्चात अप्रार्थी राजू पुत्र गाडा व प्रकाश पुत्र काना ने उपरोक्त प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सीपीसी में तरतीबी अप्रार्थी के स्थान पर प्रार्थीगण के खाने में पक्षकार बनाये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने बिना प्रार्थीगण को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये एवं बिना प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 151 सीपीसी का निस्तारण किये प्रकरण में तरतीबी अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण के खाने में पक्षकार बनाये जाने पर उतारू हो रहे है। अप्रार्थीगण व अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के आचरण से यह प्रतीत होता है कि वे अप्रार्थीगण के प्रभाव में है तथा गलत तथ्यो के आधार पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 13 सीपीसी को बिना मियाद के प्रश्न को निस्तारण किये स्वीकार कर अप्रार्थीगण के पक्ष में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 26.6.2001 को खारीज करने पर उतारू हो रहे है। इसलिए प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से निष्पक्ष न्याय की उम्मीद कतई नहीं है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन उपरोक्त उनवानी प्रकरण का स्थानान्तरण उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली से जिले के अन्यत्र राजस्व न्यायालय में किये जाने की कृपा करे।

5. वकील अप्रार्थी संख्या 14 ने प्रार्थी अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य गलत है तथा स्वीकार योग्य नही है। प्रार्थी के द्वारा जानबूझकर प्रकरण में विलम्ब करने की नियत से यह प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो चलने योग्य नही है। प्रकरण के निस्तारण को लम्बित करने के उद्देश्य से मनगढंत एवं मिथ्या तथ्यो के आधार पर प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र के वर्णित तथ्यों का कोई ठोस आधार नहीं है। अन्त में वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस मे उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

6. उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली में विचारधीन प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 13 को दीगर न्यायालय में स्थानान्तरित करने हेतु निवेदन किया है।

वकील प्रार्थी ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों का कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है। केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है जो सही नहीं है। मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नही है। उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थीगण द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरापों की पुष्टि नहीं होती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय प्रति उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली को भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

7. निर्णय आज दिनांक 17.10.2025 को सरे इजलास सुनाया गया ।

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कोटपूतली-बहरोड़

(प्रियंका गोस्वामी)
I.A.S.
जिला कलक्टर
कोटपूतली-बहरोड़